फार्म नं.63

(देखे नियम 148 (1))

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के समक्ष

मूल-क्षेत्राधिकार

कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत

एवं

मैसर्स ऑप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड (परिसमापन-में) के अंतर्गत

कंपनी पिटीशन क्रमांक 7/2008

कंपनी (कोर्ट) नियम 1959 के नियम 152 के अंतर्गत कंपनी के उन भूतपूर्व श्रमिकों को सूचना का विज्ञापन जिनके व्दारा आज दिनांक तक निर्धारित फार्म कमांक 67 में उनका दावा शासकीय समापक, इंदौर के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त नामांकित कंपनी के उन भूतपूर्व श्रमिकों (*) जिन्होंने आज दिनांक तक कंपनी (कोर्ट) नियम 1959, के नियमों के अंतर्गत निर्धारित फार्म कमांक 67 में उनका दावा शासकीय समापक के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है, को यह सूचित किया जाता है, कि उनके व्दारा कंपनी को दिये गये ऋण अथवा दावे की राशि जो उक्त कंपनी से वसूल करना हो, उसके तत्संबंधी प्रमाण दिनांक 01/09/2020 तक या उसके पूर्व माननीय उच्च न्यायालय (म.प्र.) जबलपुर के शासकीय समापक के कार्यालय, प्रथमतल, ओल्डसी.आय.ऐ. भवन, जी.पी.ओ. के सामने, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (म.प्र.) पिन कोड नं. 452001, में प्रस्तुत करें या डाक व्दारा इस प्रकार भेंजे कि उपरोक्त तिथि के पश्चात नहीं पहुंचे, साथ ही अपने ऋण या दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में एक शपथपत्र अपने नाम, पते एवं ऋण अथवा दावे के विवरण सहित प्रस्तुत करें, जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 530 के अंतर्गत प्राथमिकता यदि कोई हो, तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख हो। यदि कोई उपरोक्त भूतपूर्व श्रमिक उक्त उल्लेखित निर्धारित समयावधि के अंदर अपने ऋण अथवा दावे के संबंध में शपथपत्र (फार्म कमांक 67) में प्रस्तुत नहीं करेगा तो वह अपने प्रमाणित दावे/ऋणों के शोधन हेतु किसी भी डिविडेंड/लाभांश वितरण के लाभ से वंचित रहेगा और साथ ही ऐसे वितरण के संबंध में उसे आपत्ति करने का अधिकार नहीं रहेगा।

ऐसे भूतपूर्व श्रमिक जिनके व्दारा प्रमाण प्रस्तुत/प्रेषित कर दिया हो, उसे शासकीय समापक व्दारा लिखित में सूचना व्दारा निर्देशित करने पर आवश्यकतानुसार नियत समय एवं स्थान पर जो कि सूचना में उल्लेखित होगा, अपना ऋण अथवा दावे की जांच के लिये स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहना होगा एवं अपने दावे या ऋण के संबंध में तत्संबंधी अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, जो भी आवश्यक हो।

हस्ते/-
(सीताराम एस. गुप्ता, आईसीएलएस)
शासकीय समापक
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर (म.प्र.)
प्रथमतल, ओल्ड सी.आय.ए. भवन जी.पी.ओ. के सामने,
रेसीडेंसी क्षेत्र इंदौर (म.प्र.)

दिनांक : 21/07/2020
स्थान : इंदौर (म.प्र.)
दूरभाष नं. : 0731-2710568

(*)टीप: 01. कंपनी के ऐसे भूतपूर्व श्रमिक जिनके व्दारा शासकीय समापक, इंदौर के कार्यालय में फार्म कमांक 67 में अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन्हें सूचित किया जाता है कि ये उनके लिए अंतिम अवसर है कि वे अपना दावा, दावा प्रस्तुत करने कि घोषित अंतिम तिथि 01/09/2020 को या उससे पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दे। विदित हो कि घोषित अंतिम दिनांक के पश्चात प्राप्त दावा फार्मो पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

02. कंपनी के ऐसे भूतपूर्व श्रमिक जिनके व्दारा पूर्व में अपना दावा फार्म कमांक 67 में इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, किंतु उन्हें उनके स्वत्वों का भुगतान किन्हीं तकनीकि कारणों से नहीं हो पाया है, उन्हें पुन: अपना दावा फार्म कमांक 67 में इस कार्यालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

"दैनिक भास्कर - 22/07/2020"

FORM NO. 63
[See rule 148 (1)]

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF M.P., JABALPUR
(ORIGINAL JURISDICTION)
IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956
AND
IN THE MATTER OF M/s. OPTEL TELECOMMUNICATION LTD. (IN-LIQN.)
Company Petition No. 7/2008

ADVERTISEMENT OF NOTICE TO THE EX-WORKMEN WHO HAVE NOT FILED/SUBMITTED THEIR CLAIM IN FORM NO. 67 AS REQUIRED UNDER RULE, 152, OF THE COMPANIES (COURT) RULES, 1959, IN THE O/O THE OFFICIAL LIQUIDATOR, INDORE.

Notice is hereby given to the ex-workmen (*) of the above-named company (In-Liqn.) who have not filed/submitted their claim as required under Rule, 152 of the Companies (Court) Rules, 1959 and are required to submit to the Official Liquidator of the Court, proofs in Form No. 67, of their respective debts or claims against the above named company by delivering at the office of the Official Liquidator, 1st Floor, Old CIA Building, Opposite GPO, Residency Area, Indore (M.P.) **on or before the 1st day of September, 2020** or sending by post to the Official Liquidator so as to reach him not later than the said date, an affidavit proving the debt or claim in the prescribed form with their respective names, addresses and particulars of debt or claim, and any title to priority under Section 530 of the Companies Act,1956. Any Ex-Workmen who fails to submit his affidavit of proof in Form No.67, within the time limited as aforesaid will be excluded from the benefit of any distribution of dividend before his debt is proved, or, as the case may be, from objecting to such distribution.

Any Ex-workmen who has sent in his proof, if so required by notice in writing from the Official Liquidator, shall either in person or by his advocate, attend the investigation of such debt or claim at such time and place as shall be specified in such notice and shall produce such further evidence of his debt or claim as may be required.

Sd/-
(SITARAM S.GUPTA, ICLS)
OFFICIAL LIQUIDATOR
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH,
AT JABALPUR, GWALIOR & INDORE
1ST FLOOR, OLD CIA BUILDING, OPP. GPO, RESIDENCY AREA, INDORE (M.P.)

Date : 21/07/2020
Place : INDORE (M.P.)
Phone : 0731-2710568

*Note: 01. All the Ex-workmen of the above company (In-Liqn.) who have not filed/submitted their claim in Form No.67, in this office are hereby informed that, this is the last opportunity for them to file their claim on or before 1st September, 2020.The forms which received after the last date of submission of claim will not be entertained.

02. The Ex-Workmen, who have already submitted their claim in Form No. 67, in this office, but their claim amount could not be disbursedtill date due to some technical reasons, may need not required to file/submit their claim in Form No.67, again with this office.

"The Economic Times – 22/07/2020"